(12) **समक्ष मान्नीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)**

निगरानी प्रकरण ..../2016

5 रु. Rs.5 भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 20 रु. COURT FEE Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

नकछेड़ी तनय सिद्धनाथ पटेल, निवासी–ग्राम दादर पूर्वी, थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) II/ निगरानी/रीवा/भू-रा/2017/4810 ....निगरानीकर्ता

बनाम

अग्रनाथ पिता श्री लालमणि पटेल, निवासी–ग्राम दादर पूर्वी, थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) ....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना के राजस्व प्रकरण क्र0–143ए6ए/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 23/11/2017। निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0।

श्री रमाकान्त पटेल आदि द्वारा आज दि. 1-12-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-12-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
प्र.दि. 14-12-17

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं–

M.P. 14-12-17

1– यह कि इस प्रकरण के निराकरण के लिये उभयपक्षों के वंशवृक्ष को समझना आवश्यक है, जो इस प्रकरण के निराकरण में सहायक सिद्ध होगा, उक्त सजरा खानदान प्रकरण के साथ अनुलग्न ''अ'' के रूप में संलग्न किया जा रहा है, जो प्रकरण का एक अंग होगा।

2– यह कि संलग्न सजरा खानदान मुताबिक निगरानीकर्ता के पिता सिद्धनाथ तथा गैरनिगरानीकर्ता अग्रनाथ एक ही पिता लालमणि की संताने हैं,। उक्त लालमणि की ग्राम दादर में खाता नं0 37 सर्वे बन्दोबस्त में 95 किता भूमियां जो कि विवादित हैं, रैयत पट्टे पर प्राप्त हुई थी, उक्त लालमणि की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों यानी निगरानीकर्ता के पिता सिद्धनाथा तथा गैरनिगरानीकर्ता के नाम वर्ष 1955–56 में बतौर वारिसाना दर्ज हुई और तब से उक्त इन्द्राज अनुसार पिता की समस्त भूमियों पर उनके दोनों वारिस निगरानीकर्ता के पिता सिद्धनाथ तथा गैरनिगरानीकर्ता बराबर–बराबर भाग पर पिता की मृत्यु के बाद से काबिज दखील चले आ रहे हैं, जिनका आपसी पारिवारिक विभाजन भी हो

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – दो / निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2017 / 4810 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी. शर्मा उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर सुना गया । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–11–17 के विरूद्ध पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण तर्क हेतु नियत किया है । अनुविभागीय अधिारी ने अपने आदेश में धारा 5 अवधि विधान का आवेदन स्वीकार करने के समुचित कारण दिए गए हैं । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही में प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अभी अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	